M.A.
IVth semester
Sociology of Crime

भ्रष्टाचार

– डॉ. सुभि धुसिया

शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से भ्रष्ट आचार को भ्रष्टाचार कहते हैं। इस अर्थ में किसी समाज के आचार संहिता के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार है। इस प्रकार भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या परोक्ष अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए जान–बूझकर विशेष रूप से उल्लेखित कर्तव्य– जो समाज के अस्तित्व के लिए प्राथमिक शर्त है– का उल्लंघन है। कुछ प्रमुख परिभाषायें निम्न हैं, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार के अर्थ को समझा जा सकता है–

एम.ए.इलियट एवं **एफ.ई.मेरिल** ने लिखा है–

''प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्तिगत लाभ हेतु अपने निर्धारित कर्तव्य की जान–बूझकर अवहेलना करना भ्रष्टाचार है।''

भारतीय दण्ड विधान (धारा 181) के अनुसार, ''कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय, पक्षपातपूर्ण रूप से किया जाये तो भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी है।'' इस कथन से स्पष्ट होता है– (1) सरकारी कर्मचारी में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रकृति की व्याख्या है। (2) भ्रष्टाचार में पक्षपात का समावेश होता है। (3) पक्षपात का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाना होता है। (4) इस भ्रष्ट व्यवहार के लिए कर्मचारी को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। (5) भ्रष्टाचार से जुड़े व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहा जाता है।

भ्रष्टाचार निरोधक समिति, 1964 ने भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए लिखा है, ''व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद या जनजीवन में व्याप्त एक विशेष परिस्थिति से संबंधित शक्ति अथवा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण उपयोग ही भ्रष्टाचार है।'' इस परिभाषा से पता चलता है– (1) समाज में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति जब अनुचित तरीके से दूसरों को लाभ पहुँचाता है, तब यह क्रिया भ्रष्टाचार है। (2) इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग होता है।

भ्रष्टाचार की विशेषतायें

1. भ्रष्टाचार व्यक्ति के अनैतिक व्यवहार का सूचक है।
2. भ्रष्टाचार जान–बूझकर किया गया व्यवहार है।
3. भ्रष्टाचार सामाजिक व कानूनी आचार संहिता में उल्लेखित कर्तव्य का उल्लंघन है।
4. भ्रष्टाचार लाभ प्राप्ति के लिए होता है।
5. भ्रष्टाचार के अंतर्गत सार्वजनिक हितों को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि पर विशेष बल दिया जाता है।
6. भ्रष्टाचार में पक्षपात का समावेश रहता है।

7. भ्रष्टाचार का रूप प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं।

8. भ्रष्टाचार का क्षेत्र काफी व्यापक है।

9. भ्रष्टाचार विविध कारकों का परिणाम है। इसकी वृद्धि के लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी हैं।

भ्रष्टाचार के स्वरूप

भ्रष्टाचार सम्पूर्ण समाज में समाहित हो गया है। समाज का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो इससे बचा हो। आज का सम्पूर्ण पर्यावरण ही भ्रष्टाचारमय है। अध्ययन की सरलता हेतु भ्रष्टाचार के स्वरूपों को निम्न बिन्दुओं में रखकर प्रस्तुत किया जा सकता है–

वैयक्तिक भ्रष्टाचार

आज व्यक्ति उपभोक्तावादी संस्कृति से आहत है। इस संस्कृति में दिखावे की प्रवृत्ति की अधिकता है। रेफ्रीजरेटर, नये मॉडल के कार, कूलर, वाशिंग मशीन आदि जैसी सामानों को घर में जमा करने की एक दौड़ है। वेतन का पैसा इतना नहीं है कि व्यक्ति यह सब जमा कर सकें। तब फिर रिश्वतखोरी, हेराफेरी व गलत किस्म की सौदेबाजी शुरू होती है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार

राजनीतिक सत्ता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपने समर्थकों, अपने दल के लोगों को अनुचित लाभ देना, अपने स्वार्थ के लिए अपने पद का दुरुयोग करना व अपने अधीनस्थ प्रशासनतंत्र को गलत कार्य के लिए आदेश देना आदि राजनीतिक भ्रष्टाचार है। **एडविन एच. सदरलैण्ड** एवं **डोनाल्ड आर. डोनाल्ड आर. क्रेसी** ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इसमें (1) कानून भंग करने वाले को प्रश्रय दिया जाता है। (2) निहित स्वार्थों के विरुद्ध कानून बनाने में अड़ंगे लगाये जाते हैं। (3) सार्वजनिक निर्माण के ठेकों में खूब भ्रष्टाचार चलता है, (4) लोक प्रतिनिधि चुनाव के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं आदि के समर्थन का आश्वासन देते हैं और चुने जाने पर उसके स्वार्थ की रक्षा करते हैं, और (5) चुनाव में मतदानतंत्र को प्रभावित किया जाता है।

प्रशासनिक भ्रष्टाचार

प्रशासनतंत्र में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जो भ्रष्ट व्यवहार किये जाते हैं, उसे प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहेंगे। प्रशासन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार न हो। अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करना, रिश्वत लेकर अनुचित लाभ देना, पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तंग करना आदि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं।

व्यापारिक एवं औद्योगिक भ्रष्टाचार

व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनुचित साधनों को अपनाया जाना आम बात है। झूठा विज्ञापन, ट्रेडमार्क का दुरुपयोग, नकली वस्तुओं को बेचना, मिलावट करना, आयकर की चोरी करने आदि इसके उदाहरण हैं। इससे महंगाई बढ़ती है, जनसाधारण कराहता है और फिर भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है।

धार्मिक भ्रष्टाचार

आज का धार्मिक जगत भी भ्रष्टाचार से ग्रसित है, मठों के महन्त, मंदिरों के पुजारी व तीर्थस्थलों के पण्डे आदि अपने भक्तों का जिस तरह से शोषण करते हैं, वह किसी से

छिपा नहीं है। दान में आये पैसों का ये लोग अपने ऐशो–आराम में खर्च करते हैं। आश्रमों में, मठों में व्यभिचार व अनैतिकता से आम लोग अवगत हो रहे हैं। फिर धर्म–स्थलों की आड़ में तस्करी होती है, जासूसी की जाती है, अपराध होते हैं व दुर्व्यसनों को प्रश्रय दिया जाता है।

शैक्षणिक भ्रष्टाचार

स्कूलों व कालेजों के प्राचार्यों द्वारा संस्थानों की सम्पत्ति का दुरुपयोग करना पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना आम बात है। कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की लूट, पक्षपातपूर्ण कृत्य व उदासीनता से हम आप अवगत हैं। शिक्षकों द्वारा गलत माध्यम से अर्थोपार्जन करना, अधिकतम अंक अयोग्य को प्रदान करना व प्रश्न–पत्र आउट करना आदि देखे जा सकते हैं। शिक्षार्थी द्वारा विचलनकारी व्यवहार का होना, वर्ग से गायब रहना व शिक्षकों का अनादर करना पाया जाता है।

न्यायिक भ्रष्टाचार :

वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। न्यायतंत्र, अधिवक्ता, वादी, प्रतिवादी और साक्षी सबके सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुकदमें की मंजूरी, मुकदमें की तारीख व न्याय सबकुछ पैसे व पैरवी पर टिका है। आज भारतीय न्यायालयों में रिश्वतखोरी अपनी चरम सीमा पर है। न्याय की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। न्यायाधीशों द्वारा रिश्वत लिया जाता है। न्याय का सस्ता होना व शीघ्र होना सम्भव नहीं, क्योंकि मुकदमा जितना लम्बा चलेगा, संबंधित व्यक्ति उतने लाभान्वित होंगे।

पुलिसतन्त्रीय भ्रष्टाचार

पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार का अड्डा है। चोर, डकैत, अपराधी, आतंकवादी, वेश्यावृत्ति, नशावृत्ति व जुआखोरी आदि सभी पुसिसतंत्र की छत्रछाया में जीते हैं। पुलिस इनसे घूस लेती है। पकड़े जाने पर घूस लेकर बचाती है।

भ्रष्टाचार के कारण

वैयक्तिक कारण

व्यक्ति में बेईमानी, धन–लोलुपता, विलासी जीवन अनैकिता की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, भ्रष्ट आचरण उतने अधिक बनेंगे। व्यक्ति में धनलोलुपता भ्रष्टाचार का एक अत्यन्त सशक्त कारण है। अधिक से अधिक धन अर्जन करने में व्यक्ति भ्रष्ट होता चला जाता है। विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा जितनी अधिक होगी, उनमें येन–केन प्रकारेण धन अर्जन की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी।

सामाजिक कारण

इसके अंतर्गत सामाजिक चरित्र का पतन, समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास, समाज की भौतिकवादी दृष्टि और सामाजिक नियंत्रण का अभाव उल्लेखनीय है। व्यक्ति के समान समाज का चरित्र होता है। जिस समाज का चरित्र गिरा हुआ होगा, वहाँ के लोग भ्रष्टाचारिक कृत्यों में सदैव लिप्त रहेंगे। भ्रष्टाचार का प्रधान कारण समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास है। नैतिक मूल्यों के ह्रास में वृद्धि होते ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों कमजोर होने लगते हैं। भारत जैसे–जैसे नैतिकता से दूर जा रहा है, भ्रष्टाचार वैसे–वैसे अपना स्थान बनाता जा रहा है।

समाज की भौतिकवादी दृष्टि से पैसे की प्रधानता अधिक हो जाती है, जिनके पास धन सम्पत्ति होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है।

आर्थिक कारण

आर्थिक कारणों में अल्प वेतन, महंगाई, कालाबाजारी एवं पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति का भ्रष्टाचार के साथ गहरा संबंध है। जिन कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है, वे अपनी आवश्यकताओं व दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते। इस संदर्भ में वे भ्रष्ट आचरण करने को तैयार हो जाते हैं। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है, उस अनुपात में आम व्यक्ति की आय नहीं बढ़ती। व्यक्ति येन–केन प्रकारेण अपनी जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में भ्रष्ट कृत्य से जुड़ जाता है। भ्रष्टाचार का कालाबाजारी से गहरा सम्बन्ध है। कालाबाजार का विस्तार जितना अधिक होगा, भ्रष्टाचार का धंधा उतना ही अधिक फलता–फूलता जायेगा।

राजनीतिक कारण :

राजनीति का भ्रष्टाचार से गहरा संबंध है। राजनीतिक कारणों में विषाक्तपूर्ण राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक दलबंदी व चुनाव, राजनीतिक अस्थिरता और राजनीति का अपराधीकरण महत्वपूर्ण हैं। चुनाव और राजनीतिक दलबंदी का आलम यह है कि नेताओं को वोट पाने के लिए भ्रष्टतम कृत्य करने में हिचक नहीं होती है। इसमें जातिवाद, सम्प्रदायवाद, पैसा, डंडा, अपराधियों व बाहुबलियों से सांठ–गांठ, व्यापारियों व उद्योगपतियों का सहयोग लिया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता भ्रष्टाचार का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। राजनीतिक आदर्शों व मूल्यों का ह्रास हुआ है, राजनीतिज्ञों की हत्या, दंगे, अपराध आदि में वृद्धि हुई है।

प्रशासनिक कारण

प्रशासन एक ऐसा तंत्र है जिसके बल से नीचे से ऊपर– ग्राम स्तर से मंत्रालय– तक के सारे क्रियाकलाप संचालित व कार्यान्वित होते हैं। लेकिन गौर से देखा जाये तो एक ओर प्रशासन की घूसखोरी से मधुर सम्बन्ध रहा है। दूसरी ओर प्रशासन की ढुलमुल नीति के कारण भ्रष्ट कर्मचारियों को स्वयं ही संरक्षण प्राप्त हो जाता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी अपने पद का मनमाना दुरुपयोग करते हैं। इन स्थितियों में भ्रष्टाचार का विकास होता है।

वैधानिक कारण

वर्तमान न्यायतंत्र ऐसा है जिससे भ्रष्टाचार को बल मिलता है। कानून की अस्पष्ट, अनिश्चित तथा संदिग्ध धारायें समाज में भ्रष्ट आचरण करने वाले व्यक्तियों को मदद प्रदान करती हैं। यही कारण है बलात्कार, हत्या व अपहरण जैसे कृत्य करने वाले व्यक्ति भी कानून के गिरफ्त से बच निकलते हैं। साथ ही दण्ड व्यवस्था की सरलता भी भ्रष्टाचार को बढ़ाता देती है। कानून के अपर्याप्त ज्ञान से भी सीधे–साधे लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते हैं।

भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम

भ्रष्टाचार से जन–जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो प्रभावित हुए बगैर हो। यही कारण है देश व समाज की स्थिति दिन–प्रतिदिन नारकीय होता जा रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों को निम्न रूपों में समझा जा सकता है–

नैतिक पतन

भ्रष्टाचार जितना अधिक होगा, नैतिक मूल्यों का पतन उतना ही अधिक होगा। राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक, शैक्षणिक क्षेत्र हो या चिकित्सा का, न्यायिक क्षेत्र हो या पत्रकारिता का, हर जगह नैतिकता में पतन दृष्टिगोचर होता है।

सामाजिक सुरक्षा

भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप समाज में असुरक्षा की भावना का विकास होता है। जब समाज के प्रतिष्ठित व कानून के संरक्षक भ्रष्टाचार से जुड़े जाते हैं, तब भला आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। राजनेता, प्रशासक, न्यायकर्ता आदि जिनके हाथों में सुरक्षा का दायित्व है, वे ही अगर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हों तो समाज की सुरक्षा क्या होगा।

नियमहीनता

भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप नियमहीनता और कानूनों की अवहेलना में वृद्धि होती है। इसके कारण समाज में अराजकता का माहौल, समाज में घूसखोरी, कालाबाजारी, धोखाधड़ी, छल–प्रपंच, व्यापारिक हेराफेरी तथा श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार करने की आवृत्ति बढ़ जाती है।

अविश्वास :

भ्रष्टाचार के चलते जनसामान्य में शासनतंत्र, पुलिसतंत्र एवं न्यातंत्र के प्रति अविश्वास की भावना का प्रादुर्भाव होता है, जो समाज के लिए खतरनाक है। कानून पर विश्वास करने वाला सामान्य व्यक्ति ऊपर से नीचे तक के मंत्रियों एवं कर्मचारियों आदि सब पर संदेह करने लगता है।

अपराध

चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि जैसे अपराध भ्रष्टाचार के कारण ही होते हैं। ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों का भ्रष्ट राजनेता, पुलिस व न्यायकर्ता से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध होता है।

सामाजिक विघटन

भ्रष्टाचार का सबसे घातक परिणाम सामाजिक विघटन है। समाज पर भ्रष्टाचारियों का कब्जा हो जाता है। वे उत्तरोत्तर सुखी, समृद्धि एवं विलासी होता जाता है। समाज का जन–सामान्य निरन्तर गरीब होता जाता है। धनी–गरीब के बीच स्नेह, साहचर्य एवं सहयोग के रिश्ते समाप्त होते जाते हैं।

सामाजिक निर्बलता

भ्रष्टाचार की स्थिति में समाज निर्बल हो जाता है। चारों तरफ समस्यायें ही समस्यायें दिखाई देने लगती हैं। बाल–अपराध, सफेदपोश अपराध, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, तलाक,

आत्महत्या, हिंसा आदि जैसी समस्यायें भ्रष्टाचारियों के कृत्य के परिणाम हैं। इसके परिणाम उस प्रकार असाध्य होते हैं जिस प्रकार बीमारी के बाद व्यक्ति कमजोर हो जाता है एवं अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

अन्य परिणाम

उपरोक्त दुष्परिणामों के अलावा भष्टाचार के कारण समाज में वर्गवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसे अनेक समस्यायें उत्पन्न होती हैं। जन सामान्य व्यक्तिवादी, सुखवादी और भौतिकवादी होता जा रहा है। राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिला है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार से समाज खोखला होता जा रहा है। इसका प्रभाव समाज की नयी युवा–पीढ़ी पर पड़ रही है। आज का युवा भ्रष्ट आचरण का शिकार होता जा रहा है। अगर हम देर रहते इससे सबक नहीं लेते तो हमारे समाज को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता।